# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज.

**पीठासीन अधिकारी :— श्री रवि विजय (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :— 54 / 2014
तारीख दायरा :— 24.07.2014
नये प्रकरण संख्या :— 07 / 2019
दायरा तिथि :— 12.04.2019

**वादीगण :—**

प्रेमसिंह पुत्र रावतसिंह
जाति—राजपुरोहित, निवासी—आना
तहसील—देसूरी, जिला—पाली, राजस्थान

**ब ना म**

**प्रतिवादीगण :—**

1. अचलसिंह पुत्र रावतसिंह
2. विजयसिंह पुत्र रावतसिंह
   (मृत कीकसिंह पुत्र रावतसिंह का हक व हिस्सा लाऔलाद फौत होने से वादी व प्रतिवादी अचलसिंह व विजयसिंह में निहित हुआ)
3. घीसूसिंह पुत्र रामसिंह
4. श्रवणसिंह पुत्र रामसिंह
5. सुखीबाई पत्नि रामसिंह
6. मांगुसिंह पुत्र स्व. केसरसिंह
   तमाम जातिगण—राजपुरोहित निवासीगण— आना
   तहसील—देसूरी, जिला—पाली, राजस्थान
7. तहसीलदार देसूरी(भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)
   जिला—पाली राजस्थान।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

**उपस्थिति :—**

1. श्री दिव्य प्रकाश त्रिवेदी — अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 अनुपस्थित।

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**—: निर्णय :—** **दिनांक :—22.04.2019**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर

**पेज लगातार 2 पर..**

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

निवेदन किया कि ग्राम आना में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की पुश्तैनी सम्पति खातेदारी की स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के साथ मन मुटाव रखते है। जिससे पापस में काश्त करना मुश्किल हो गया है। तथा वादी का हिस्सा भी बो देते है। जिससे बराबर हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिक बंटवाडा करवाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी प्रेमसिंह प्रतिवादीगण संख्या 2 व 6,7 उपस्थित शेष अनुपस्थित । पक्षकारान के सम्मन बाद तामिल शामिल पत्रावली किये गये। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड को अवलोकन किया गया। प्रकरण का निस्तारण उपलब्ध रिकार्ड के अनुरूप किया जाना उचित प्रतीत है। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड के अध्ययन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा आना के खसरा नम्बर 1265, 1266, 1267, 1268, 1271, 1272, 1273, 1277, 1278, 1279 कुल खसरा 10 कुल रकबा 5.05 हेक्टर किस्म चाही दोयम में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। तथा वादी ने इसी अनुरूप खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन का निवेदन किया है।

अतः उपरोक्त हिस्सों के अनुरूप वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री लोक अदालत अभियान केम्प कोर्ट शिविर आना में दिनांक 22.05.2017 को पारित की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का आना को भिजवाई जाकर निर्देश दिये गये कि वे पक्षकारों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। विभाजन में प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंटे में रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा नम्बर, रकबा, किस्म भूमि, लगान इत्यादि इर्शाते हुए तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्ध रखते हुए मय नजरी नक्शा में प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगों से दर्शाते हुए रिपोर्ट पेश करने एवं विभाजन रिपोर्ट प्राप्त हाने पर पत्रावली कायम कर प्रकरण में नियमानुसार विभाजन की अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश प्राथमिक डिक्री में दिये गये। तथा पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर कर दी गई।

जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.05.2017 की अनुपालना में वादी/प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र मय प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.05.2017 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। जिसके परिपेक्ष्य में पत्रावली कायम की गई तहसीलदार देसूरी से विभाजन रिपोर्ट क्रमांक 503 दिनांक 12.06.2018 प्राप्त हो चुकी है। विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पर वादी मय अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली पुनः दर्ज की गई। अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुरूप अंतिम डिक्री आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

पेज लगातार 3 पर..

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

अतः तहसीलदार देसूरी द्वारा पत्रांक/राजस्व/18/503 दिनांक 12.06.2018 के प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त आराजी का मौके पर पक्षकरान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा कर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। जिस अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है :—

| क्र. सं | नाम खातेदार | खसरा नंबर | रकबा (हैक्टर मे) | किस्म भूमि | लगान (रूपये मे) | नजरी नक्शा मे वर्णित रंग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रेमसिंह पुत्र रावतसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार | 1277 | 0.34 | जा.दो. 0.07 | 0.70 | |
| | | | | चा.दो 0.27 | 8.10 | |
| | | 1278 | 0.50 | जा.दो. 0.05 | 0.50 | |
| | | | | चा.दो. 0.45 | 3.50 | |
| | | | | | 22.80 | |
| | योग | 2 | 0.84 | — | | |
| 2 | 1. अचलसिंह पुत्र रावतसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 1/5<br>2. घीसूसिंह पुत्र रामसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 1/10 रहन एमजीबी नारलाई<br>3. मांगीलाल पुत्र केसरसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 3/10 रहन एसबीबीजे देसूरी<br>4. विजयसिंह पुत्र रावतसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 1/5<br>5. श्रवणसिंह पुत्र रामसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 1/10 रहन एमजीबी नारलाई<br>6. सुखीबाई पत्नी रामसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 1/10 | 1265 | 0.35 | चा.दो. 0.28 | 8.40 | |
| | | | | जा.दो. 0.07 | 0.70 | |
| | | 1266 | 0.59 | चा.दो. 0.47 | 14.10 | |
| | | | | जा.दो. 0.12 | 11.20 | |
| | | 1267 | 0.70 | चा.दो. 0.59 | 17.70 | |
| | | | | जा.दो. 0.11 | 1.10 | |
| | | 1268 | 1.24 | चा.दो. 0.16 | 34.80 | |
| | | | | जा.दो. 0.08 | 0.80 | |
| | | 1271 | 0.44 | चा.दो. 0.40 | 12.00 | |
| | | | | जा.दो. 0.04 | 0.40 | |
| | | 1272 | 0.12 | चा.दो. 0.10 | 3.00 | |
| | | | | जा.दो. 0.02 | 0.20 | |
| | | 1273 | 0.51 | चा.दो. 0.36 | 10.80 | |
| | | | | जा.दो. 0.15 | 1.50 | |
| | | 1278/1 | 0.17 | चा.दो. 0.17 | 5.10 | |
| | | 1279 | 0.09 | चा.दो. 0.07 | 2.10 | |
| | | | | जा.दो. 0.02 | 0.20 | |
| | | | | | 114.10 | |
| | योग | 9 | 4.21 | | | |

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

पेज लगातार 4 पर..

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम किया जावें। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 136.90 रूपयें का पांच गुना पर देय मुद्रांक के बतौर रूपयें 40 के नोन ज्यूडिश्यल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा की एक प्रति तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

प्रपत्र 5

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज.

**पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय (आर.ए.एस.)**

**<u>वादीगण</u> :–**

प्रेमसिंह पुत्र रावतसिंह
जाति–राजपुरोहित, निवासी–आना
तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान

**ब ना म**

**<u>प्रतिवादीगण</u> :–**

1. अचलसिंह पुत्र रावतसिंह
2. विजयसिंह पुत्र रावतसिंह
   (मृत कीकसिंह पुत्र रावतसिंह का हक व हिस्सा लाऔलाद फौत होने से वादी व प्रतिवादी अचलसिंह व विजयसिंह में निहित हुआ)
3. घीसूसिंह पुत्र रामसिंह
4. श्रवणसिंह पुत्र रामसिंह
5. सुखीबाई पत्नि रामसिंह
6. मांगुसिंह पुत्र स्व. केसरसिंह
   तमाम जातिगण–राजपुरोहित निवासीगण– आना
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान
7. तहसीलदार देसूरी(भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)
   जिला–पाली राजस्थान।

दावा बाबत <u>53, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>
मुकदमा नम्बर :– **54 / 2014**
नये प्रकरण संख्या :– 7 / 2019
निर्णय दिनांक :– 22.04.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसायल कतेइ रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी दिव्य प्रकाश मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त भूमि मौजा आना के खसरा नम्बर 1265, 1266, 1267, 1268, 1271, 1272, 1273, 1277, 1278, 1279 कुल खसरा 10 कुल रकबा 5.05 हेक्टर किस्म कुल लगान 136.90 रूपये चाही दोयम मे वादी का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 06 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। तथा वादी इसी अनुरूप खातेदारी की घोषणा व विभाजन का निवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त हिस्सो के अनुरूप वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 1 से 6 के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

आदेश लोक अदालत केम्प कोर्ट आना में दिनांक 22.05.2017 को पारित की गई। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार देसूरी द्वारा पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर बटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पारित प्राथमिक डिकी के निर्देशानुसार पत्रावली पुनः कायम कर प्रस्तवित बंटवाडा रिपोर्ट तहसीलदार, देसूरी अनुसार अंतिम डिकी पारित की जाती है।

1. प्रेमसिंह पुत्र रावतसिह पुरोहित सा.देह खातेदार ख.न. 1277,1278 रकबा 0.34, 0.50 जा.दो. चा.दो. कुल रकबा 0.84 कुल लगान 22.80 रूपयें।

2.
   1. अचलसिंह पुत्र रावतसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 1/5
   2. घीसूसिंह पुत्र रामसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 1/10 रहन एमजीबी नारलाई
   3. मांगीलाल पुत्र केसरसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 3/10 रहन एसबीबीजे देसूरी
   4. विजयसिंह पुत्र रावतसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 1/5
   5. श्रवणसिंह पुत्र रामसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 1/10 रहन एमजीबी नारलाई
   6. सुखीबाई पत्नी रामसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 1/10

| खसरा संख्या | रकबा | किस्म |
|---|---|---|
| 1265 | 0.35 | चा.दो. जा.दो. |
| 1266 | 0.59 | चा.दो. जा.दो. |
| 1267 | 0.70 | चा.दो. जा.दो. |
| 1268 | 1.24 | चा.दो. जा.दो. |
| 1271 | 0.44 | चा.दो. जा.दो. |
| 1272 | 0.12 | चा.दो. जा.दो. |
| 1273 | 0.51 | चा.दो. जा.दो. |
| 1278/1 | 0.17 | चा.दो. |
| 1279 | 0.09 | चा.दो. जा.दो. |
| **कुल खसरा 9** | **कुल रकबा 4.21 हेक्टर** | |

कुल लगान रूपये 114.10 खातेदारी की है।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड के अमलदरामद एवं नक्शें मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिकी का भाग माना जावे। वादी के बंट की भूमि मे प्रतिवादी गण दखलदांजी नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है। पालना हेतु तहसीलदार, देसूरी लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.04.2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुद्दायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प वकालत नामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत इजराय हुक्म नामा | | |
| बाबत इजराय हुक्म नामा | | | मुतफरिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी